



# THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

(TO BE PUBLISHED IN PART III, SECTION 4 OF THE GAZETTE OF INDIA)

## NOTIFICATION (Chartered Accountants)

No.1-CA(7)/(169)/2015

Date:06/04/2015

In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Central India Regional Council at Haldwani, Utrakhand with effect from 10<sup>th</sup> February, 2015.

The Branch shall be known as Haldwani Branch of the Central India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include Haldwani, Kathgodam, Nanital, Pantnagar, Rudrapur and all cities/places within a distance of 50 Km. from Haldwani city limits.

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

(V. Sagar)  
Acting Secretary



# THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

(भारत का राजपत्र, भाग III खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ)  
अधिसूचना  
(चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स)

स0 1- सीए(7)/(169)/2015

दिनांक- 6-04-2015

चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स अधिनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद की एक शाखा की दिनांक-10-02-2015 से हल्द्वानी शहर, उत्तराखंड में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद की हल्द्वानी शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हल्द्वानी, काठगोदाम, नैनीताल, पन्तनगर, रुद्रपुर तथा अन्य सभी शहर/स्थान आयेंगे, जो कि हल्द्वानी शहर के शहरी सीमा के 50 किलोमीटर दूरी के अन्तर्गत स्थित हैं।

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए मध्य भारत प्रादेशिक परिषद की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

वी. सागर  
कार्यकारी सचिव